

आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुसंसा के पश्चात ग्राम आवेडिया के खाता सं १११, ११३ खसरा नं. — में आवेदन पत्र अनुसार मैरनाम के स्थान पर मैरनाम शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार फागी को प्रति मिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश केम्प मैरनाम पंचायत मुल्तानिया में दिनांक ०१/१०/१५ को मजमेआम में सुनाया गया।



[Signature]
मुल्तानिया अधिकारी
फागी